न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, अलवर (राज0)

पीठासीन अधिकारी :– हरि राम मीना, आर.ए.एस.

अपील सं0:–48/2013 **(223 आर.टी.एक्ट)**

उनवान

1. रामलाडली स्त्री करणसिंह जाति राजपूत सुण्डाना तहसील कठूमर जिला अलवर।
2. ओमसिंह पुत्र विजयसिंह जाति राजपूत सुण्डाना तहसील कठूमर जिला अलवर।
3. कर्णसिंह पुत्र विजयसिंह जाति राजपूत सुण्डाना तहसील कठूमर।
4. सजनकंवर पुत्री विजयसिंह स्त्री बसन्तसिंह राजपूत सुण्डाना हाल वासी करावली तहसील राजगढ़ जिला अलवर राज0।
5. मटरो पुत्री विजयसिंह जाति राजपूत स्त्री जसवन्तसिंह सुण्डाना हाल वासी ग्राम रेवात तहसील कडीयल बस्सी जिला अजमेर।

.... अपीलांट्स

बनाम

1. लल्लू पुत्र पांच्या जाति मीणा सुण्डाना तहसील कठूमर।
2. कजोडी पुत्र रामचन्दर मीणा सुण्डाना तहसील कठूमर।
3. प्रभू पुत्र रामचन्दर जाति मीणा सुण्डाना तहसील कठूमर।
4. रामस्वरूप पुत्र रामचन्दर जाति मीणा सुण्डाना तहसील कठूमर।
5. लखमी पुत्र रामचन्दर जाति मीणा सुण्डाना तहसील कठूमर जिला अलवर।

.... वादीगण/ रेस्पो0

6. हेमलता पुत्री हरिसिंह स्त्री जितेन्द्रसिंह राजपूत वासी सुण्डाना हाल काशीराम का चौराहा कोतवाली के सामने अलवर।
7. शान्तिदेवी पत्नि स्व0 हरिसिंह राजपूत सुण्डाना तहसील कठूमर (मृतक)
8. स्टेट बैंक आफ इण्डिया शाखा खेरली जर्ये ब्रांच मैनेजर एसबीआई शाखा खेरली तहसील कठूमर।
9. राजस्थान राज्य जर्ये जिला कलक्टर अलवर राज0।

.... प्रतिवादीगण/रेस्पो0

उपस्थित :–

1. श्री बाबूसिंह राघव, अभिभाषक अपीलांट ।
2. श्री दशरथ सिंह नरूका, अभिभाषक रेस्पो0 ।

::: निर्णय :::

दिनांक :–26.12.2019

यह अपील विद्वान उपखण्ड अधिकारी कठूमर के निर्णय व डिक्री दिनांक 28.02.2013 के विरूद्ध इस न्यायालय में प्रस्तुत की गई है ।

संक्षेप में तथ्य इस प्रकार है कि वादी/रेस्पो0 ने अधीनस्थ न्यायालय में एक दावा इस्तकरारहक वो हुक्मइम्तनाईदवामी का इस आशय का प्रस्तुत किया कि आराजी खसरा नंबर 712 रकबा 2 बीघा 18 बिस्वा ग्राम सुण्डाना तहसील कठूमर में स्थित है। उपरोक्त विवादित आराजी के 1/2 भाग का खातेदार काश्तकार हरिसिंह पुत्र छाजूसिंह पि0मु0 नवलसिंह व 1/2 हिस्सा के खातेदार हरिसिंह, विजयसिंह पि0 छाजूसिंह जाति राजपूत निवासी सुण्डाना थे। राजस्व रिकार्ड जमाबंदी संवत 2046 में उक्त अनुसार खातेदारी दर्ज थी वो कब्जा चला आ रहा था। हरिसिंह व विजयसिंह को अपनी जरूरी आवश्यकता हेतु रूपयों की आवश्यकता थी जिस गर्ज को पूरी करने के लिये हरिसिंह पुत्र छाजूसिंह पि0मु0 नवलसिंह ने विवादित आराजी का 3/4 हिस्सा दिनांक 21.06.1988 को 18000 रूपया में वादी अपीलांट लल्लू व वादी रेस्पो0 2 लगायत 5 के पिता रामचन्दर को बय कर दिया व आराजी पर कब्जा दे दिया तथा इसी प्रकार जो शेष 1/4 हिस्सा विजयसिंह पुत्र छाजूसिंह राजपूत का था उसको विजयसिंह ने जरिये रजिस्टर्ड बयनामा इसी दिनांक को 6000 रूपया में वादी रेस्पो संख्या 1 लल्लू व वादी रेस्पो0 संख्या 2 लगायत 5 के पिता रामचन्द को बय कर दिया व आराजी पर खरीदारान को कब्जा दे दिया, इस प्रकार खसरा नंबर 712 पूरा रकबा वादी रेस्पो0 संख्या 1 लल्लू व रामचन्द दोनों भाइयों ने संयुक्त रूप से खरीद कर कब्जा प्राप्त कर लिया। जिस पर वक्त खरीद से 1/2 हिस्सा पर लल्लू व 1/2 हिस्सा पर रामचन्द काश्त करता चला आ रहा है। रामचन्द फौत हो गया जिस रामचन्द के चार लडके वादी रेस्पो0 संख्या 2 लगायत 5 हैं जो शेष 1/2 हिस्सा पर काबिज चले आ रहे हैं। बाद खरीद लल्लू व रामचन्द ने उक्त आराजी का घरेलू रूप से बंटवारा कर लिया था, जिस बंटवारे के अनुसार 1/2 हिस्सा तर्फ पश्चिम पर लल्लू व तर्फ पूर्व 1/2 हिस्सा पर वादी संख्या 2 लगायत 5 काबिज चले आ रहे हैं। मौके पर आज भी इसी तरह कब्जा काश्त है। वक्त बयनामा हरिसिंह का हिस्सा उसके दत्तक पिता नवलसिंह ने एसबीबीजे शाखा खोह में रहन था जिस हरिसिंह ने उक्त बैंक का कर्जा जमा कराकर अनापत्ति प्रमाण पत्र बयनामा के साथ लगाकर बयनामा रजिस्टर्ड कराया था। बयनामा रजिस्टर्ड होने के बाद जरिये इन्तकाल संख्या 390 के वादी रेस्पो0 1 लल्लू व वादी रेस्पो0 2लगायत 5 के पिता रामचन्द विवादित आराजी के खातेदार काश्तकार दर्ज रिकार्ड हो गये वो लगातार बिना किसी रूकावट के वादीगण रेस्पो0 विवादित आराजी को काश्त करते चले आ रहे हैं। बयनामा रजिस्टर्ड होने के बाद असल बयनामा रामचन्द मीणा ने तत्कालीन पटवारी हलका को दे दिये, तथा उस समय पटवारी हलका ने असल बयनामा के आधार पर इन्तकाल संख्या 390 दर्ज कर दिया। जिसे दिनांक 03.06.89 को उपतहसीलदार कठूमर द्वारा तसदीक कर दिया। लेकिन गलती से पटवारी हलका ने नो ड्यूज के आधार पर हरिसिंह राजपूत का 1/2 हिस्सा जो एसबीबीजे शाखा खोह में रहन रखा था, का फक रहन का इंतकाल दर्ज नही किया। जिस कारण वादीगण के हक में हुये इंतकाल संख्या 390 का अमल दरामद राजस्व रिकार्ड में नही हुआ इसके बाद पटवारी हलका ने जरिये इन्तकाल संख्या 403 के विवादित आराजी रहन फक का इन्तकाल दर्ज कर तसदीक करा दिया। विवादित आराजी एसबीबीजे शाखा खोह से रहन फक हो गई लेकिन इसके बाद भी वादीगण रेस्पो0 के हक में हुये इन्तकाल संख्या 390 का

अमल दरामद राजस्व रिकार्ड में नही किया तथा रहन फक होने के बाद विवादित आराजी का 3/4 हिस्सा हरिसिंह के नाम आ गया व 1/4 हिस्सा विजयसिंह के नाम आ गया। जबकि बाद बेचान इनका विवादित आराजी पर कभी कब्जा काश्त नही रहा उक्त गलत इन्द्राज के आधार पर हरिसिंह राजपूत ने विवादित आराजी का 1/2 हिस्सा जरिये नुमाइशी रजिस्टर्ड बयनामा बिना प्रतिफल व बिना कब्जे के बेईमानी के आशय से अपीलांट संख्या 1 रामलाडली पत्नि करनसिंह राजपूत को दिनांक 07.06.2000 को करा दिया वो जरिये इंतकाल संख्या 705 के रामलाडली विवादित आराजी के 1/2 हिस्सा की खातेदार काश्तकार हो गई जो बयनामा दिनांक 07.06.2000 बमुकाबले वादीगण रेस्पो0 बातिल बेअसर व नाकाबिल पाबन्दी, शून्य है। जब हरिसिंह पहले ही प्रतिफल लेकर विवादित आराजी के 3/4 हिस्सा का रजिस्टर्ड बयनामा दिनांक 21.06.88 को रामचन्द व लल्लू को करा दिया व कब्जा दे दिया तो फिर पुनः हरिसिंह राजपूत को 1/2 हिस्सा का बयनामा रामलाडली के हक में रजिस्टर्ड कराये जाने का अधिकार नही था। जिस बयनामा की जानकारी वादीगण रेस्पो0 को होने पर पश्चातवर्ती बयनामा दिनांक 07.06.2000 द्वारा हरिसिंह बहक रामलाडली वादीगण रेस्पो0 के हक हकूकों के खिलाफ बातिल,बेअसर,शून्य है। वादी रेस्पो0 संख्या 1, 1/2 हिस्सा व वादी रेस्पो0 संख्या 2 लगायत 5 शेष 1/2 हिस्सा बाबत घोषणा कराने के अधिकारी हैं।

अधीनस्थ न्यायालय द्वारा दिनांक 28.02.2013 को दावा वादीगण रेस्पो0 डिक्री किया जाकर आराजी खसरा नंबर 712 रकबा 2 बीघा 18 बिस्वा वाके ग्राम सुण्डाना तहसील कठूमर का वादी रेस्पो0 संख्या 1 को 1/2 हिस्सा व वादी रेस्पो0 संख्या 2 लगायत 5 को 1/2 हिस्से का खातेदार काश्तकार घोषित किया। जिस निर्णय दिनांक 28.02.2013 से व्यथित होकर अपील इस न्यायालय में प्रस्तुत की गई है।

अपील प्रस्तुत होने पर दर्ज रजिस्टर की गई । रेस्पो0 को जर्ये सम्मन तलब किया गया । तहत अदालत की पत्रावली तलब करते हुए विद्वान अभिभाषकगण की धारा 5 लिमिटेशन एक्ट एवं मैरिट पर बहस सुनी गयी ।

प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 5 लिमिटेशन एक्ट पर अभिभाषक अपीलांट ने अंकित किया है कि अधीनस्थ न्यायालय में अपीलांट व तरतीबी रेस्पो0 की ओर से वकील नियुक्त थे जिन्होंने पक्षकार को यह आश्वासन दिया हुआ था कि जब भी पक्षकार की आवश्यकता होगी, उनको बुला लिया जायेगा। अपीलांट इसी विश्वास में रहे कि वकील उनकी ओर से पैरवी मुकदमा कर रहे है। किन्तु दिनांक 20.06.2013 को पटवारी हलका के द्वारा जानकारी मिली कि उक्त मुकदमे का निर्णय अपीलांट के विरूद्ध हो गया है तथा मुकदमे में अपीलांट के खिलाफ इकतरफा कार्यवाही की गई है जिस पर तुरन्त नकल दिनांक 21.06.2013 को प्राप्त कर अपील पेश की गई है। दिनांक 28.02.2013 से 20.06.2013 तक का जो समय निकला है वह काबिल माफी के है व कन्डोन किये जाने योग्य है।

जबाव में अधिवक्ता रेस्पो का तर्क है कि अपील मियाद बाहर पेश की गई है। अधीनस्थ न्यायालय में अपीलांट जानबूझकर अनुपस्थित रहे हैं। अब उन्हें अपील पेश करने का कोई अधिकार नही है।

प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 5 लिमिटेशन एक्ट पर न्यायालय का विनम्र मत है कि देरी को माफ करने हेतु अवधि का बिंदु महत्वपूर्ण नही है,बल्कि वह पृष्ठभूमि जिसके कारण देरी हुई है, महत्वपूर्ण है। जब कोई अवैध आदेश कानून के विपरीत है तो देरी क्षम्य है। विभिन्न

न्यायिक दृष्टांतों में यह निष्कर्ष है कि "विलम्ब" प्रकरणों में न्यायालय को लचीला रूख अपनाना चाहिये।

अतः अपीलांट द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 5 लिमिटेशन एक्ट बाद बहस स्वीकार किया जाता है।

मैरिट की बहस पर अभिभाषक अपीलांट ने बहस में दावें के तथ्यों को दोहराया और तहत न्यायालय द्वारा पारित आदेश का हवाला दिया । अपीलांट अभिभाषक का बहस में कथन है कि अधीनस्थ अदालत में अपीलांटान अपना पक्ष प्रस्तुत करने से महरूम रहे हैं अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय विधि द्वारा स्थापित सिद्धान्तों के प्रतिकूल है। आराजी खसरा नंबर 712 रकबा 2 बीघा 18 बिस्वा का 1/2 भाग अन्य आराजी के साथ अपीलांट ने जर्ये बयनामा दिनांक 07.06.2000 के हरिसिंह पुत्र मुतबन्ना नवलसिंह कौम राजपूत निवासी सुण्डाना तहसील कठूमर से खरीद की है और वक्त खरीद से अपीलांट रामलाडली उक्त आराजी पर काबिज है व शेष आराजी पर अपीलांट संख्या 2 लगायत 5 व रेस्पो0 6–7 काबिज है। जिनका राजस्व रिकार्ड में नाम दर्ज है। वादी रेस्पो0 का विवादित आराजी से कोई ताल्लूक व सरोकार किसी किस्म का नही है ना ही उनका कभी कब्जा रहा है और मौके पर भी उनका कब्जा नही है। वादी रेस्पो0 का वाद फर्जी दस्तावेज के आधार पर था व है। अधीनस्थ न्यायालय में अपीलांटान अपना पक्ष पेश करने से वंचित रहा है जिससे उन्हें सुना जाना व साक्ष्य आदि पेश करने का मौका दिया जाना आवश्यक है। अपीलांट स्वच्छ न्याय से वंचित रहे हैं। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के प्रावधानों की पालना नही की गई है जबकि रिकार्डेड खातेदार के विरूद्ध दावा डिक्री नही किया जा सकता था। अतः अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय व डिक्री निरस्त की जाकर अपील अपीलांट स्वीकार फरमाये जाने हेतु निवेदन किया गया।

जवाब में अभिभाषक असल रेस्पो0 का बहस में कथन है कि आराजी खसरा नंबर 712 रकबा 2 बीघा 18 बिस्वा ग्राम सुण्डाना तहसील कठूमर में स्थित है। उपरोक्त विवादित आराजी के 1/2 भाग का खातेदार काश्तकार हरिसिंह पुत्र छाजूसिंह पि0मु0 नवलसिंह व 1/2 हिस्सा के खातेदार हरिसिंह, विजयसिंह पि0 छाजूसिंह जाति राजपूत निवासी सुण्डाना थे। राजस्व रिकार्ड जमाबंदी संवत 2046 में उक्त अनुसार खातेदारी दर्ज थी वो कब्जा चला आ रहा था। हरिसिंह व विजयसिंह को अपनी जरूरी आवश्यकता हेतु रूपयों की आवश्यकता थी जिस गर्ज को पूरी करने के लिये हरिसिंह पुत्र छाजूसिंह पि0मु0 नवलसिंह ने विवादित आराजी का 3/4 हिस्सा दिनांक 21.06.1988 को 18000 रूपया में वादी अपीलांट लल्लू व वादी रेस्पो0 2 लगायत 5 के पिता रामचन्दर को बय कर दिया व आराजी पर कब्जा दे दिया तथा इसी प्रकार जो शेष 1/4 हिस्सा विजयसिंह पुत्र छाजूसिंह राजपूत का था उसको विजयसिंह ने जरिये रजिस्टर्ड बयनामा इसी दिनांक को 6000 रूपया में वादी रेस्पो संख्या 1 लल्लू व वादी रेस्पो0 संख्या 2 लगायत 5 के पिता रामचन्द को बय कर दिया व आराजी पर खरीदारान को कब्जा दे दिया, इस प्रकार खसरा नंबर 712 पूरा रकबा वादी रेस्पो0 संख्या 1 लल्लू व रामचन्द दोनों भाइयों ने संयुक्त रूप से खरीद कर कब्जा प्राप्त कर लिया। जिस पर वक्त खरीद से 1/2 हिस्सा पर लल्लू व 1/2 हिस्सा पर रामचन्द काश्त करता चला आ रहा है। रामचन्द फौत हो गया जिस रामचन्द के चार लडके वादी रेस्पो0 संख्या 2 लगायत 5 हैं जो शेष 1/2 हिस्सा पर काबिज चले आ रहे हैं। बाद खरीद लल्लू व रामचन्द

ने उक्त आराजी का घरेलू रूप से बंटवारा कर लिया था, जिस बंटवारे के अनुसार 1/2 हिस्सा तर्फ पश्चिम पर लल्लू व तर्फ पूर्व 1/2 हिस्सा पर वादी संख्या 2 लगायत 5 काबिज चले आ रहे हैं। मौके पर आज भी इसी तरह कब्जा काश्त है। वक्त बयनामा हरिसिंह का हिस्सा उसके दत्तक पिता नवलसिंह ने एसबीबीजे शाखा खोह में रहन था जिस हरिसिंह ने उक्त बैंक का कर्जा जमा कराकर अनापत्ति प्रमाण पत्र बयनामा के साथ लगाकर बयनामा रजिस्टर्ड कराया था। बयनामा रजिस्टर्ड होने के बाद जरिये इन्तकाल संख्या 390 के वादी रेस्पो0 1 लल्लू व वादी रेस्पो0 2लगायत 5 के पिता रामचन्द विवादित आराजी के खातेदार काश्तकार दर्ज रिकार्ड हो गये वो लगातार बिना किसी रूकावट के वादीगण रेस्पो0 विवादित आराजी को काश्त करते चले आ रहे हैं। बयनामा रजिस्टर्ड होने के बाद असल बयनामा रामचन्द मीणा ने तत्कालीन पटवारी हलका को दे दिये, तथा उस समय पटवारी हलका ने असल बयनामा के आधार पर इन्तकाल संख्या 390 दर्ज कर दिया। जिसे दिनांक 03.06.89 को उपतहसीलदार कठूमर द्वारा तसदीक कर दिया। लेकिन गलती से पटवारी हलका ने नो ड्यूज के आधार पर हरिसिंह राजपूत का 1/2 हिस्सा जो एसबीबीजे शाखा खोह में रहन रखा था, का फक रहन का इंतकाल दर्ज नही किया। जिस कारण वादीगण के हक में हुये इंतकाल संख्या 390 का अमल दरामद राजस्व रिकार्ड में नही हुआ इसके बाद पटवारी हलका ने जरिये इन्तकाल संख्या 408 के विवादित आराजी रहन फक का इन्तकाल दर्ज कर तसदीक करा दिया। विवादित आराजी एसबीबीजे शाखा खोह से रहन फक हो गई लेकिन इसके बाद भी वादीगण रेस्पो0 के हक में हुये इन्तकाल संख्या 390 का अमल दरामद राजस्व रिकार्ड में नही किया तथा रहन फक होने के बाद विवादित आराजी का 3/4 हिस्सा हरिसिंह के नाम आ गया व 1/4 हिस्सा विजयसिंह के नाम आ गया। जबकि बाद बेचान इनका विवादित आराजी पर कभी कब्जा काश्त नही रहा उक्त गलत इन्द्राज के आधार पर हरिसिंह राजपूत ने विवादित आराजी का 1/2 हिस्सा जरिये नुमाइशी रजिस्टर्ड बयनामा बिना प्रतिफल व बिना कब्जे के बेईमानी के आशय से अपीलांट संख्या 1 रामलाडली पत्नि करनसिंह राजपूत को दिनांक 07.06.2000 को करा दिया वो जरिये इंतकाल संख्या 705 के रामलाडली विवादित आराजी के 1/2 हिस्सा की खातेदार काश्तकार हो गई जो बयनामा दिनांक 07.06.2000 बमुकाबले वादीगण रेस्पो0 बातिल बेअसर व नाकाबिल पाबन्दी, शून्य है। जब हरिसिंह पहले ही प्रतिफल लेकर विवादित आराजी के 3/4 हिस्सा का रजिस्टर्ड बयनामा दिनांक 21.06.88 को रामचन्द व लल्लू को करा दिया व कब्जा दे दिया तो फिर पुनः हरिसिंह राजपूत को 1/2 हिस्सा का बयनामा रामलाडली के हक में रजिस्टर्ड कराये जाने का अधिकार नही था। जिस बयनामा की जानकारी वादीगण रेस्पो0 को होने पर पश्चातवर्ती बयनामा दिनांक 07.06.2000 द्वारा हरिसिंह बहक रामलाडली वादीगण रेस्पो0 के हक हकूकों के खिलाफ बातिल,बेअसर,शून्य है। वादी रेस्पो0 संख्या 1, 1/2 हिस्सा व वादी रेस्पो0 संख्या 2 लगायत 5 शेष 1/2 हिस्सा बाबत घोषणा कराने के अधिकारी हैं। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा दिनांक 28.02.2013 को दावा वादीगण रेस्पो0 डिक्री किया जाकर आराजी खसरा नंबर 712 रकबा 2 बीघा 18 बिस्वा वाके ग्राम सुण्डाना तहसील कठूमर का वादी रेस्पो0 संख्या 1 को 1/2 हिस्सा व वादी रेस्पो0 संख्या 2 लगायत 5 को 1/2 हिस्से का खातेदार काश्तकार घोषित किया। अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय विधिसम्मत है। अतः अपील अपीलांट खारिज की जावे।

अधिवक्ता अपीलांट द्वारा अपने समर्थन में निम्न न्यायिक दृष्टांत पेश किये गये।
2006 आर.आर.डी पेज 192, 1998 आर.आर.डी पेज 319.
अधिवक्ता रेस्पो0 द्वारा अपने समर्थन में निम्न न्यायिक दृष्टांत पेश किये गये।
2009(1)आर.आर.टी पेज 5, 2010(2)आर.आर.टी पेज 801.

हमने उभयपक्ष के अभिभाषकगण की बहस सुनी । पत्रावली का अवलोकन किया । तहत न्यायालय की पत्रावली में पेश रेकार्ड, अपील के तथ्यों, दावे के तथ्यों का अवलोकन करते हुए तहत न्यायालय द्वारा पारित आदेश दिनांक 28.02.2013 का अवलोकन किया तथा पेश कानूनी नजीरों का भी ससम्मान अवलोकन किया ।

अधिवक्ता अपीलांट द्वारा प्रस्तुत क़ानूनी नजीरें इस प्रकरण पर लागू नही होती क्योंकि प्रकरण को गुणावगुण के आधार पर निस्तारित किया जा रहा है। क्षेत्राधिकार का निर्धारण वाद के अभिकथनों व उसमें मांगे गये अनुतोष के आधार पर किया जाता है। प्रकरण के क्षेत्राधिकार पर निर्णय न्यायालय उपखण्ड अधिकारी द्वारा दिनांक 28.02.2013 में विस्तृत व सूक्ष्म विवेचन के आधार पर किया गया है जो विधि अनुसार है।

अधिवक्ता रेस्पो0 द्वारा प्रस्तुत कूननी नजीरें इस प्रकरण पर लागू होती हैं क्योंकि प्रकरण में तथ्य समान प्रकृति के हैं। कानूनी दृष्टांत 200(5) एस.सी 458 में भी उक्त सिद्धान्त प्रतिपादित किया गया है।

जब हरिसिंह ने अपना हिस्सा 21.06.1988 को एक बार रामचन्द को पंजीकृत बयनामा के आधार पर कर दिया तो अब वे साक्ष्य अधिनियम की धारा 115 के अनुसार पुनर्विक्रय से विबंधित हैं। संपत्ति हस्तांतरण अधिनियम की धारा 48 में यह प्रावधान है कि एक ही संपत्ति यदि अनेक क्रेताओं को विक्रय की गई है तो प्रथम क्रेता का अधिमानत है। विक्रय पंजीबद्ध व सक्षम अधिकारी द्वारा किया गया है। कब्जे की धारणा विक्रय पत्र के आधार पर ही की जाती है। इस प्रकार विद्वान अधीनस्थ न्यायालय द्वारा वादी के अभिवचनों व अनुतोषों, पत्रावली में उपलब्ध दस्तावेजों व कानूनी प्रावधानों के अनुसार विवेकपूर्ण एवं सम्यक रूप से निर्णय पारित किया गया है। इसमें न्यायालय द्वारा किसी प्रकार के हस्तक्षेप करने की आवश्यकता नही है।

अतः अपील अपीलांट सारहीन होने के कारण खारिज की जाती है । विद्वान अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी कठूमर के निर्णय व डिक्री दिनांक 28.02.2013 यथावत रखी जाती है। तदनुसार पर्चा–डिक्री जारी हो। खर्चा पक्षकारान अपना–अपना वहन करें ।

पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो तथा बाद तकमील दाखिल दफ्तर हो ।

निर्णय आज दिनांक 26.12.2019 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया ।

26.12.19

(हरि राम मीना)
राजस्व अपील प्राधिकारी,
अलवर